



VISION IAS

www.visionias.in



GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2086)

Name of Candidate	Ishwar Lal Bujrah.		
Medium Eng./Hindi	Hind.	Registration Number	1295818.
Center	MN.	Date	5/09/2023

INDEX TABLE			INSTRUCTIONS	
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained	1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code). उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)। 2. There are TWENTY questions printed in HINDI & ENGLISH. इसमें बीस प्रश्न हैं हिन्दी और अंग्रेजी में छपे हैं। 3. All questions are compulsory. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं। 5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। 6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए। 7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off. उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।	
1	10			
2	10			
3	10			
4	10			
5	10			
6	10			
7	10			
8	10			
9	10			
10	10			
11	15			
12	15			
13	15			
14	15			
15	15			
16	15			
17	15			
18	15			
19	15			
20	15			
Total Marks Obtained:				
Remarks:				
			Is student recommended for One-to-One mentoring?	
			Recommended	Strongly Recommended

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp. Punjab & Sind Bank), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है?

Do you agree with the view that there is a need to enact a new law for ensuring judicial accountability in India? (Answer in 150 words) 10

'न्यायपालिका' सरकार के प्रमुख तीन अंगों में शामिल है अतः न्यायिक जवाबदेही द्वारा न्यायपालिका को संविधान व जन के प्रति जवाबदेही बनाया जाना चाहिए।
जैसे - CJJ ऑफिस को RTI के दायरे में लाने का कदम

न्यायिक जवाबदेही के लिए नए कानून की आवश्यकता

1.7 वृद्धा न्यायिक अतिश्रमण जैसे- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'NJAC' (NJAC) को रद्द करना विधायिक के कार्यों में हस्तक्षेप का उदाहरण है।

2.7 न्यायपालिका द्वारा अनु. 142 (पूर्ण न्याय) का वृद्धा भनभाना प्रयोग।

उदा. - सर्वोच्च न्यायालय ने NH के 500मीटर क्षेत्र में शराबबंदी का आदेश देना जो व्यवहार्य नहीं है।

3.7 न्यायपालिका में अपारदर्शिता को कम करने के लिए नया कानून आवश्यक है।
पुनर्गठित एवं बेहतर भाई-भतीजेवाद को
रोकने के लिए नया कानून आवश्यक है।

4.7 आफ़ोपिड न्याय पुनर्गठित में सुधार करना
जैसे- लंबित मामलों की सुनवाई में देरी
4 बरस लंबित मामलों

3.7 न्यायपालिका को अपारदर्शिता, अधिक पारदर्शिता
व जवाबदेही बनाने हेतु।

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
आदेशों की live streaming, इ-पोर्ट प्रणाली
FASTER व SOVAS जैसे कदमों से
अधिक जवाबदेही की तरफ कुछ बढ़ाया
गया है।

अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता
को बनाए रखते हुए अधिक जवाबदेही
न्यायपुनर्गठित की तरफ बढ़ा जा सकता
है।

2. भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) में संवैधानिक रूप से सामंजस्य स्थापित करना एक कठिन कार्य रहा है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए।

Constitutionally reconciling Fundamental Rights with the Directive Principles of State Policy (DPSPs) has been a tough task since the inception of the Indian Constitution. Discuss with the help of relevant case laws. (Answer in 150 words) 10

भारतीय संविधान के भाग - 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक मौलिक अधिकार व भाग - 4 में अनुच्छेद - 37 से 39 तक नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं।

मौलिक अधिकार व DPSP में संघर्ष के कारण

1. अनुच्छेद - 13 में संसद को मौलिक अधिकारों में कटौती से रोक रखा गया है। जबकि अनुच्छेद - 368 संविधान संशोधन की शक्ति देता है। अतः दोनों की व्याख्या को लेकर संघर्ष हुआ।

आव - शंकर प्रसाद बनाम यूज्युन ऑफ़ शिवा
संज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाड
1965 में सर्वोच्च न्यायालय ने (ER) में संशोधन को संसद की शक्ति माना।

2.7 संपत्ति के मौलिक अधिकार अनु. 19(1)(f)
व अनु. 31 और RPSP अनु. 39 के तहत
के कारण जैसे - गोखनाथ बनाम पंजाब राज्य
वाद - 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद
की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित
कर दिया।

3.7 RPSP को लागू करने से मौलिक अधिकारों
का उल्लंघन होना जैसे - भूमि सुधार,
शिक्षण संस्थाओं में आंदोलन।

उदा० - कमलम दुर्ई राज्य वाद

प्रधानमंत्री भारती वाद - 1973 में सर्वोच्च
न्यायालय ने संविधान के खण्ड 14 के अंतर्गत
सिद्धान्त दे कर दोनों को सम्मान मंजूर दिया।

मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में अदालत
ने RPSP और मौलिक अधिकारों को खंडसर
का पूरक माना और दोनों में सामंजस्य
को संविधान का खण्ड 14 माना।

3. प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा किए जाने वाले कार्यों और भारत में नीति-निर्माण को आकार देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Discuss the functions performed by the Prime Minister's Office (PMO) and its role in shaping policy-making in India. (Answer in 150 words) 10

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का गठन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के निपटारे में बिजनेस रजिस्ट्रार अफ़र के तहत किया गया जो 'प्रधानमंत्री' को प्रशासनिक व अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है।

नीति निर्माण में PMO की भूमिका

1. सुझावों का व्यापक शिर्षक तैयार करने में प्रधानमंत्री की सहायता करता है।

उदा० - आत्मनिर्भर भारत अभियान

2. कैबिनेट व प्रधानमंत्री के मध्य नीति-निर्माण संबंधी इनपुट को गठन करता है।

उदा० - प्रधानमंत्री के प्रस्ताव, सुझावों को समेकित करता है।

3.7 PMO परमाणु ऊर्जा, वाह्य सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा पर विभिन्न राजसिवां से सीधा संपर्क रखता है।

डॉक्टर परमाणु ऊर्जा आयोग PMO से तत्काल काम करता है।

4. अध्यक्ष प्रधानमंत्री के वैश्विक कार्यो का प्रबंधन प्रधानमंत्री की यात्रा में डेटा व पॉलिसी इनपुट

डॉक्टर PMO की भूमिका शासन में वहुआयामी है यह PM के लिए सिंस टैक व पॉलिसी इन्सिस्टेंस की भूमिका निभाता है।

4. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के प्रावधानों का पुनरीक्षण करने और उन पर पुनर्विचार करने के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं एवं मानवाधिकार संबंधी चिंताओं तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

Re-examination and reconsideration of the provisions of Section 124A of the Indian Penal Code (IPC) requires striking a balance between concerns of civil liberties and human rights, and maintaining and protecting the sovereignty and integrity of India. Comment. (Answer in 150 words) 10

IPC की धारा - 124(A) राजद्रोह से संबंधित है। हिंसा द्वारा चुनी हुई सरकार, शासन व्यवस्था को उखाड़ने, अस्थिर करने वाले कार्यों को राजद्रोह की श्रेणी में रखा जाता है।

राजद्रोह

- एक सशस्त्र अपराध है।
- एक गैर-जमानती अपराध है।
- आजीवन कारावास की सजा।
- दोषी या अपराधी को सरकारी नौकरी पासपोर्ट वारण करने से रोकता है।

नगरात्मक फुल

* NCRB के अनुसार 2015 से 2020 के मध्य 356 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए जिनमें 331 की दोष सिद्धा * इसका व्यापक दुरुपयोग होता है।

* एक औपनिवेशिक कानून है। ब्रिटेन ने 2009 में राजपूत को समाप्त किया।
कतः भारत में अनावश्यक है।

* ICCPR कन्वेंशन के तहत इस समाप्त करना। 113 देशों ने राजपूत को समाप्त कर दिया है।

* मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन होता है।

पंडा में लक - उदारनाथ सिंह बनाम बिहार 1985

मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी वैधता को बनाए रखते हुए असाधारण स्थिति में प्रयोग करने की बात कही है।

* आंतर्राष्ट्रीय, देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता के लिए जरूरी है।

बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य

वांड - 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके प्रयोग को रोकने के लिए व्यापक निर्देश दिए। उन्हा पालन से ही इस पर वैधानिक चर्चा होनी चाहिए।

5. "ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस पहलों की सफलता के लिए नागरिक भागीदारी महत्वपूर्ण है।" टिप्पणी कीजिए।

"Citizen participation is key to the success of e-governance initiatives in rural India." Comment. (Answer in 150 words) 10

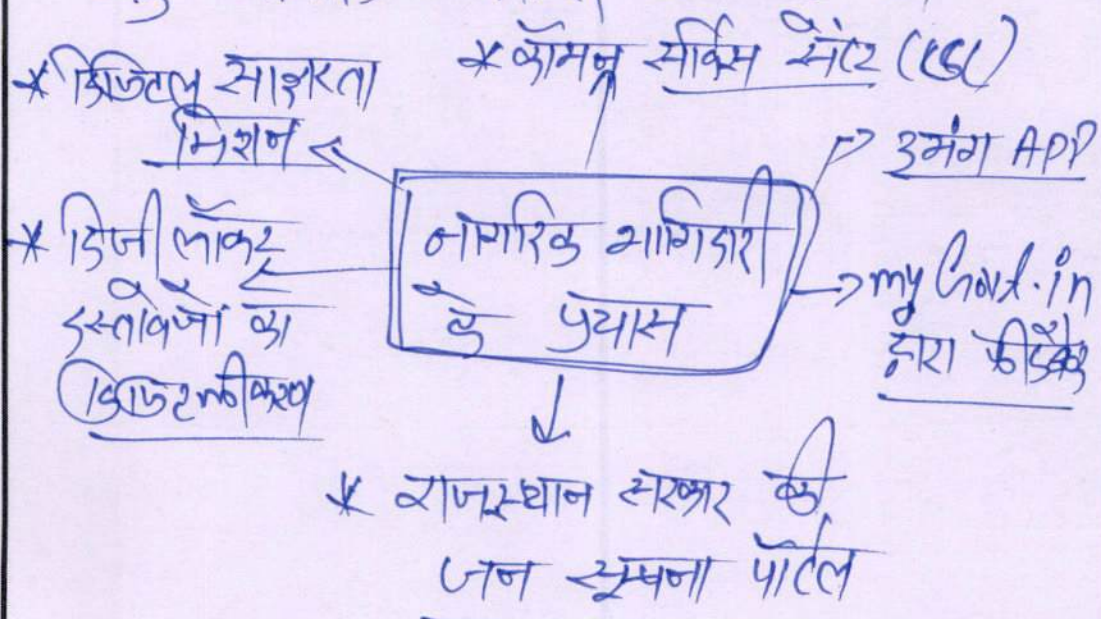
ई-गवर्नेंस पहलों द्वारा शासन प्रक्रिया में 'ICT' व प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही, प्रतिप्रियाशील व अप्रसार मुक्त बनाने से है। जैसे -> डाइनिंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रणाली

ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस की सफलता के लिए नागरिक भागीदारी की आवश्यकता -

1. डिजिटल डिवाइड के कारण मात्र 31% ग्रामीण आबादी की पहुँच ही इंटरनेट तक है। उदा. ADP, SHS, व सिविल सौशाली द्वारा ई-गवर्नेंस का सामाजिक प्रयोग को बढ़ावा देना। जैसे - राजस्थान सरकार के ई-मित्र केंद्रों द्वारा सेवा प्रदान करना।

2.7 डिजिटल साक्षरता के अभाव में ग्रामीण
आवादी RBA, डिजिटल लोन-डोन सुविधा
का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

3.7 मनरेगा, PDS, पेंशन, व्यक्तिगत व
अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ
हेतु नागरिक भागीदारी आवश्यक है।



आत्म-ई-गवर्नेंस में नागरिकों की
भागीदारी द्वारा सेवा वितरण को प्रभावी
बनाकर जनमित्र-शासन व सुशासन
के लक्ष्यों को पाया जा सकता है।

6. आपके अनुसार आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपनी शुरुआत के बाद से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना सफल रहा है?

How far do you think the Aspirational District Programme has been able to achieve its objectives since its inception? (Answer in 150 words) 10

'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के तहत
देश के सर्वाधिक पिछड़े 112 जिलों
का सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार
पर समग्र विकास करना।

ध्यान → Convergence (व्यापकता को बढ़ाना)
→ Comparison (प्रतिस्पर्धा बढ़ाना)
→ Collaboration (सहयोग बढ़ाना)

उद्देश्य → पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार
→ पेंपियन डॉकू योजना के रूप में
जिलों का विकास करना
→ रैंकिंग द्वारा 'रिचल टाइम' प्रोग्राम
का आकलन करना।
→ सामाजिक वृद्धि को कम करना
जैसे- नक्सल क्षेत्र के 60 से
अधिक जिलों का कुचरारी समाप्त।

* प्रकृ. पोषण
व स्वास्थ्य सुरक्षा
में सुधार

* नीति आयोग द्वारा वॉलम-अप
रजिस्ट्रार के कारण; जिलों में
स्थानीय आधार पर सेवाएँ

* लिंगानुपात में
सुधार हुआ
व NFHS-5 के
अनुसार

सफलता

* लैंगिंग से
जीत-पुष्पा
बढ़ी

* प्रशासन की उपस्थिति
में शह हुई।

हालांकि वजतीय आवेदन व बुन्द-राज्य
के विवाद के कारण इसमें बाधा उपजने हुई
लेकिन व्यापक स्तर पर यह सफल रहा।

हाल: 'आफ़ेरी डिजिटल कार्यक्रम' की सफलता

के बाद केन्द्रीय बजट 2022-23 में 500
आफ़ेरी डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की
गई है।

7. NGO क्षेत्र को आगे बढ़ाने और लाभार्थियों के लिए आउटकम्स को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

Technology has a crucial role to play in advancing the NGO sector and improving outcomes for beneficiaries. Discuss with examples. (Answer in 150 words) 10

भारत में 33 लाख से अधिक
NGO हैं लेकिन 'NGO डायरेक्टरी' पोर्टल पर
मात्र 15.10 NGO ही रजिस्टर्ड हैं जो
NGO क्षेत्र में प्रौद्योगिकी इस्तेमाल
की आवश्यकता को बताता है।

NGO क्षेत्र को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी भूमिका

जैसे- NGO वेबसाइट व API द्वारा ऑनलाइन
व डान डेटाबेस को जोड़ सकता है।

जैसे- प्रथम NGO का पोर्टल

जैसे- लाभार्थियों तक पहुँच को बढ़ाने के
लिए डिजिटल मीडिया, youtube का
उपयोग कर सकता है।

जैसे- स्माइल फाउंडेशन द्वारा यूट्यूब
से प्रचार-प्रसार करना।

3.7 ऑनलाइन, Big data, क्लाउड कम्प्यूटिंग
द्वारा Nehru पॉलिसी मैकेनिज्म में
एक इनपुट का काम कर सकता है।

4.7 साइबर सिम्योरिटी, डिजिटल साक्षरता,
वित्तिय सभावेशन, डिजिटल जागरूकता जैसे
अर्थों में Nehru का विस्तार संभव

लक्ष्याधिकारों के आउटकम का विस्तार करने में
जैदयोगिकी की भूमिका —

* आरुच्य सामग्री, अपेक्ष, स्वाध्याय के दान
द्वारा वेधर, गरिबी की सहायता संभव है।

१५- गुंज Nehru द्वारा सामग्री का विश्लेषण

* पहुँच को व्यापक किया जा सकता है।

* डिजिटल पोर्टल, ऑनलाइन मैंगरशीप,

ऑनलाइन अपेक्ष द्वारा वेधर सेवकित्व

आतः जैदयोगिकी Nehru की

प्रभावशीलता को वधर वेधर नागरिक
समाज का उर्भाव संभव है।

8. तकनीकी और उच्चतर शिक्षा के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश से जुड़े निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

Discuss the implications associated with the entry of foreign educational institutions for technical and higher education in India. (Answer in 150 words) 10

नई शिक्षा नीति - 2020 ने
FHEI, को भारत में शिक्षण की
अनुमति देने की बात बड़ी।
'UGC' ने विश्व-विदेशी पारी
के TOP-500 रैंक वाले FHEI
को भारत में बैचस ऑपन की अनुमति दी

समाश्लेष → नई तकनीक व शिक्षण प्रणाली
वैल्यू डेन व ट्रेन ड्रेन में
कमी होगी
→ शिक्षा उपसंस्कृति का विकास
→ ज्ञान आधारित महाशक्ति बनना
→ R&D में बढ़ोतरी
→ वर्ल्ड क्लास पाठ्यक्रम

नकारात्मक → जिस तथ्य बरैन की
स्वातंत्रता आतः गरिब वैसे
वैधिव (असमानता)

→ भारतीय शिक्षण संस्थान कमजोर

→ व्यापक स्वातंत्रता का दुरुपयोग
द्वि-प्रोपेमेंट प्रैक्ताना

आतः इसे सुरक्षा में निराश
है तहत ही मायु बिना पार

9. भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच फलता-फूलता संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। परीक्षण कीजिए।

The flourishing relationship between India and countries of Latin America has become a critical element of India's foreign policy. Examine. (Answer in 150 words) 10

लैटिन अमेरिका और भारत

का द्विपक्षीय व्यापार 150 बिलियन डॉलर

है। हाल ही में विदेश मंत्री ने लैटिन अमेरिका के कई देशों की यात्रा की

महत्व → लिबेरिया को 35-1. आपूर्ति
उपार्जना, गोखिजा व छत्ती

→ 40-1. तैयार लैटिन से आता है

→ 15-1. ऊर्जा आपूर्ति

9- वैनपुरा, चयुवा

- भारत का 16 बिलियन डॉलर का

निवेश है 9 फीसदी आवाजों

- 24 परीक्षा की मांग

दुनिया - भाषा से बाधा
 - अंग्रेज़ी और
 - चीन की बढ़ती ऊर्जा
 - > मॉडर्नाइज्ड इंडी

भारत ने लैटिन अमेरिका के
 कई देशों में नए शाखाएं खोले हैं
 और संबंधों को बढ़ाकर भारतीय
 उर्जा सुरक्षा से तय करना

10. ऋण-जाल कूटनीति क्या है? चीन की ऋण-जाल कूटनीति भारत के पड़ोस में भारतीय हितों को कैसे प्रभावित करती है?

What is debt-trap diplomacy? How does China's debt-trap diplomacy impact India's interests in its neighbourhood? (Answer in 150 words) 10

चीन द्वारा BR2 परियोजना
के तहत अस्ता ऋण धुपी हुई शर्तों
पर उदान दिया जाता है। इस ऋण-
जाल नीति का पता है
ज- श्री लंका को द्वितीय वेदरा
99 साल पर कीज पड़लें

भारत के हितों पर प्रभाव

→ इजिप्ट शरिया के अधिकांश देश
BR2 के मागीकर बने हैं

ज- पार्क का CPDC प्रोजेक्ट

→ श्री लंका, म्यांमार, बांग्लादेश में भारत
के हितों पर नकारात्मक प्रभाव

- भारत की सुरक्षा को धारा
9- म्यांमार बंदगाह पर चीन

- चीन की मोतिलो की माला द्वारा भारत
को हिन्द महा. में घेरा जा रहा है

भारत के उद्देश्य

- सागर छिपन पहल

- दो पड़ोसी पहलें शक्तिवर्धन

- विमर्श के तहत रक्षक

- भारत की शॉफ्ट लॉन
पॉलिसी

- उर्वरि शक्ति का उद्देश्य

9- 100 उद्देश्य करना
अस-मीमांसा

भारत क्रेण-पॉल शक्ति से कमाने
के लिए शॉफ्ट पॉवर का उद्देश्य
कर रहा है

11. विश्व भर के विभिन्न संविधानों का मिश्रण होने के बावजूद, भारतीय संविधान अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय, बहुलवाद और समानता को आत्मसात किए हुए है। टिप्पणी कीजिए।

Despite being an amalgamation of various constitutions from across the world, the Indian Constitution imbibes social justice, pluralism, and equality through its various provisions. Comment. (Answer in 250 words)

15

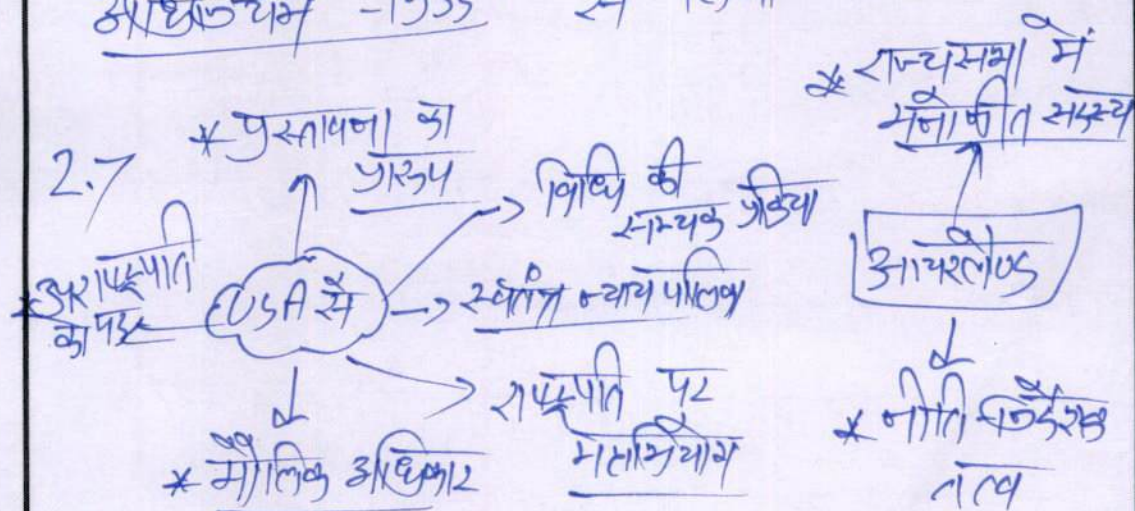
various provisions. Comment. (Answer in 250 words)

15

'भारतीय संविधान' के संवैधानिक
मन्त्रालय बी. एन. राव व 'प्रारूप समिति'
ने 160 से अधिक देशों के संविधान का
अध्ययन कर भारतीय संविधान का निर्माण
करा ता: कुछ आलोचक इसे उधार का पैला
कहते हैं।

भारतीय संविधान में अन्य देशों से प्रभाव

71. संविधान का 2/3 हिस्सा 'आरक्षित शासन' अधिनियम - 1935' से लिया गया है।



उत्तर - समानता व विभेदता में साम्य
- संपत्ति का उपभोग व अधिक

- आरक्षण की संसारात्मक अर्थवादी भारतीय है जो जाति आधारित है।
- आरक्षणवस्था का निश्चित मॉडल 1950 के अनु. 33 में व अनु. 33 में

2) बहुलवाद और समानता के संदर्भ में

1) भारत में 'धर्मनिरपेक्षता' को स्वीकारा यह पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से अलग - सर्वधर्म सम्भाव आधारित है।

2) विविधता का संरक्षण / धार्मिक, भाषायी, नस्लीय विविधता का संरक्षण

3) समानता का अधिकार अनु. 14-18 व धार्मिक स्वतंत्रता अनु. 25-28 तक

आतः डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के

शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों की अच्छी बातों को भारतीय संदर्भ में ही स्वीकारा है

12. हाल के कुछ घटनाक्रमों ने भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मुद्दे को प्रकाश में लाया है। देश में वैवाहिक बलात्कार के पीड़ितों के लिए कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

Recent developments have brought to light the issue of criminalizing marital rape in India. Analyse the implications of ensuring legal protection for victims of marital rape in the country. (Answer in 250 words)

15

भारतीय डॉट महिला (एनएल) की
धारा-375 के तहत विवाह व्यवस्था में
लगे वाला लैंगिक यौन उत्पीड़न अपराध नहीं
माना गया है। वैवाहिक बलात्कार को अपराध
बनाने को लेकर हाल में चर्चा तेज हुई।
वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने : पत्र में तर्क

1. > [NFHS-5] के अनुसार 18-49 वर्ष
की रूढ़-तिरई महिलाओं यौन हिंसा का
शिकार वैवाहिक व्यवस्था में है।

2.7 [No सिन्स NO] - नारीवादी संगठन

विवाह व्यवस्था को पिट सतामक संगठन
मानते हैं जो महिलाओं को मौखिक
उत्पीड़नों से वंचित करता है।

3.7 संविधान के अनुच्छेद - 14, 15 के अनुसार
समानता के अधिकार का उल्लंघन करके
द्व-आपराधिक अन्तों का लैंगिक
भेदभावपूर्ण होना।

4.7 अमेरिका, यूरोपीय देशों सहित अधिकांश
देशों ने इसे अपराध घोषित किया
द्व-पाकिस्तान में भी आपराधिक है।

विपक्ष में तर्क

* केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में
दर्ज हलफनामों में बिश्मका विरोध
किया।

* दुरुपयोग से व्यापक संभावना -
द्व-डिजिटल शेड्यूल अधि. 1961 का
व्यापक दुरुपयोग

* साबित करना वेद मुखल हीचट
अदालतों में विवादों में विलंबी
करेगा।

* परिवार-व्यवस्था व विवाह-उणाली पर
कारगर प्रभाव पड़ेगा।

* भारतीय समाज अभी अभिज्ञता के
सार पर तैयार नहीं।

यह मामला अभी सर्वोच्च
न्यायालय के विचारधीन है। अतः इस
पर व्यापक विधिक धर्मा द्वारा एक अलग
कानून बनाया जाए। वर्मा कमेटी ने
भी इस आपराधिक कानून की सिफारिश
की है। वैश्विक बलाकार पिछों के संरक्षण
हेतु वन स्टॉप सेक्टर, मिशन शक्ति
शक्ति पुर्नवास कोष, निर्वाचा फंड, FICs
की उणाली को सुचारु करना।

13. "संघवाद के भारतीय मॉडल की अत्यधिक केंद्रीकृत होने के कारण आलोचना की जाती है, लेकिन यह राज्यों को पर्याप्त अवसर और स्वायत्तता भी प्रदान करता है।" विश्लेषण कीजिए।

"The Indian model of federalism has been criticized for being too centralized, but it also provides adequate space and autonomy to the states." Analyse. (Answer in 250 words)

15

भारत एक अर्ध-पारिसेंपीय मॉडल वाला देश है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत एकतात्मकता की ओर झुका हुआ संघवाद है। और 'संघवाद' संविधान का बुनियादी ढांचा है।
eg- एस.आर. बोम्मई वाद - 1992 में संघवाद को संविधान का मूल ढांचा माना।

संघवाद में एकतात्मक तत्व : भारतीय मॉडल

- 1.7 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व देना
- 2.7 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा
- 3.7 संघसूची में अधिक विषयों का शामिल होना तथा अनुच्छेद 248 अतिरिक्त शक्तियों को केन्द्र सरकार के पास होना
- 4.7 अनुच्छेद - 356 द्वारा राज्यों में आपातकाल

- 3.7 'अखिल भारतीय सेवाओं' का होना।
 6.7 'इकटरी नागरिकता' का प्रावधान
 1.7 राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधान अनु. 352, 360
 8.7 'बेन्द' द्वारा राज्यों में 'केंद्रीय बलों' की तैनाती का अधिकार

संघवाद का स्वाभाविकता की ओर झुकने के कारण

- * राष्ट्रीय सुरक्षा व अखंडता के लिए राज मजबूत केंद्रीय सरकार की आवश्यकता
- * भारत की विविधता व शक्ति में सामंजस्य
- * औपनिवेशिक विरासत से ब्रिटेन का मॉडल
- * समानता, आपस संबंधों का संरक्षण

राज्यों को पचापत अवसर व स्वायत्तता के प्रावधान भी शामिल हैं।

- A7 सातवी अनुसूची में राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता एवं समवर्ती सूची पर पूर्ण समान अधिकार/शक्ति।

- 87 राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व
 67 आर्थिक स्वतंत्रता / by- कराधान का अधिकार
 57 वित्त आयोग द्वारा राज्यसभा में राज्यों
 की भागीदारी by 15th FC द्वारा 41.10
 47 16.50% परिसर में राज्यों की भूमिका
 47 आंतराज्यीय परिसर व अनु. 13 के तहत
 केन्द्र पर वाद का अधिकार
 117 कृषि, श्रम, जल, पुलिस जैसे राज्यसभा
 के मामलों उठाने दिए।
 वर्तमान में केन्द्र सरकार, सहकारी
प्रतिस्पर्धी संप्रदाय को बढावा देने के लिए,
नीति-आयोग, स्थानीय-स्वशासन को वित्त
 व शक्तियाँ का हस्तांतरण, पंचायतीराज
 को बढावा दे रही है।

14. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में नियुक्तियों को लेकर उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय ने नियुक्ति प्रक्रिया को मूल रूप से बदल दिया है और इसके संभावित दूरगामी निहितार्थ भी हो सकते हैं। विवेचना कीजिए।

The recent judgment of the Supreme Court on appointments to the Election Commission of India (ECI) has fundamentally changed the appointment process and can have potentially far-reaching implications. Discuss. (Answer in 250 words)

15

सर्वोच्च न्यायालय ने 'अनुप वर्गवाल'
वनाम भारत संप्रदाय - 2023 में निर्वाचन
आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य
निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली
को बदल दिया।

उच्चतम न्यायालय = राष्ट्रपति एक समिति
वा फैसला समिति की सिफारिश
से 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त'
व अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त
करेगा। यह समिति उपधानमंत्री, मुख्य
न्यायाधीश (CJ) व लोकसभा प्रतिपक्ष नेता
से बनेगी। यह व्यवस्था जब तक संसद
अन्य कानून नहीं बना देती तब तक
लागू रहेगी।

निर्णय के संभावित दूरगामी निहितार्थ

सकारात्मक → निर्वाचन आयोग (ECI) पर राजनीतिक प्रभाव कम होगा। जिससे वह अपने संवैधानिक दायित्व का प्रभावी निष्पादन कर पायेगा।

यु- निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव करवाना

→ मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)

के प्रति विपक्षी राजनीतिक दलों का विश्वास बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

→ अन्य चुनाव सुधारों की राह पर खुलेगी जैसे - MCC को अंजुनी बनाना, निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता निश्चित करना, कार्यभार की सुरक्षा प्रदान करना।

नकारात्मक

* व्यक्तिगत अतिभ्रम को बढ़ावा देगा।

* कार्यपालिका व न्यायपालिका में तब्रस बढ़ेगा।

* चुनाव आयोगों की नियुक्ति में अनवरत
होती होगी।

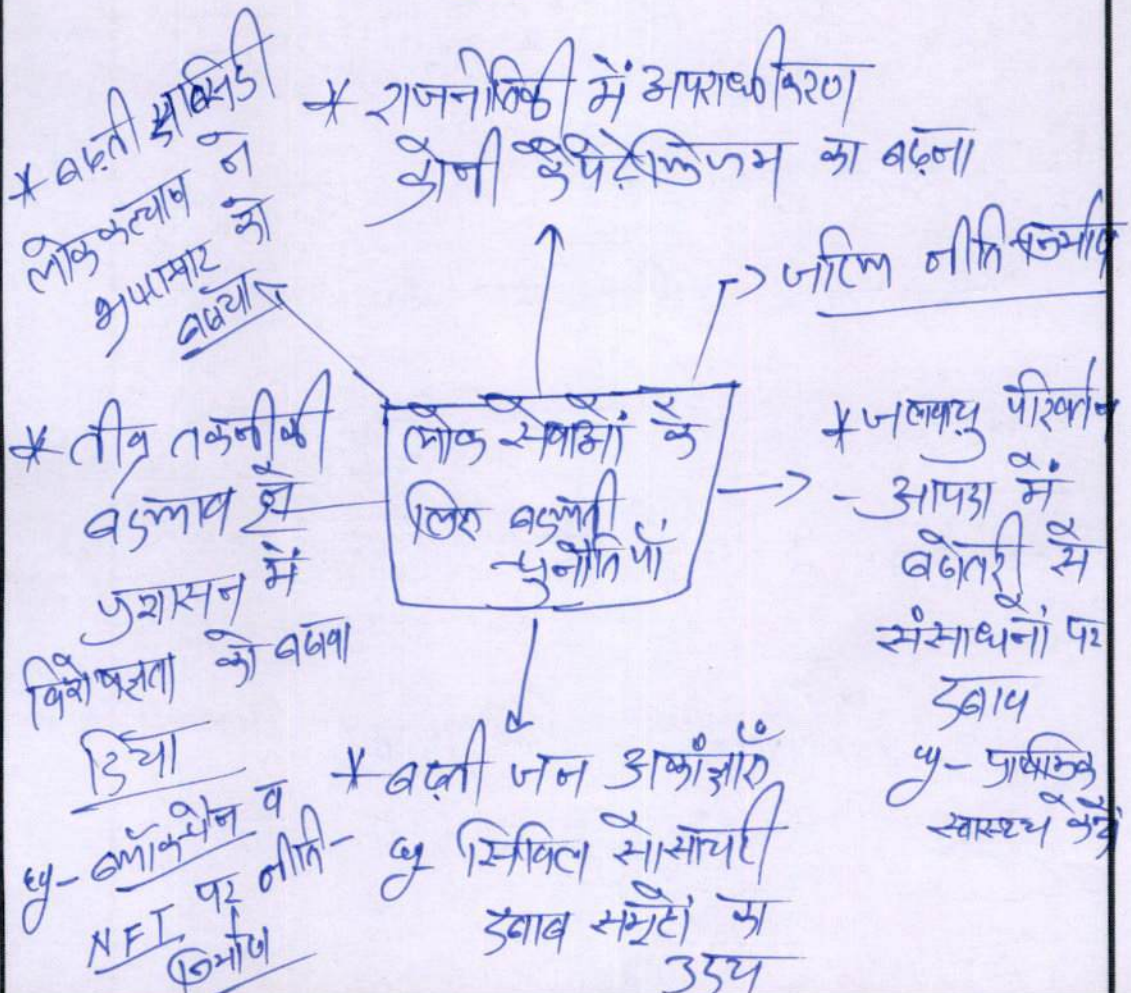
* अनुच्छेद - 324 के तहत विधानमण्डल
की शक्तियां में कमी होगी।

न्यायिक न्यायालय का यह
निर्णय भारतीय पहल है। ~~सरकार~~ ~~इसे~~
दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता व लार्ड वेड
उन्नी की चुनाव सुधार संबंधी सिफारिशों
को लागू करे हूँ। व्यापक चुनाव सुधार
संबंधी अलग कानून बनाकर नियमित
आयोग को शक्ति देना चाहिए।

15. वैश्विक बदलावों के साथ समेकन और अर्थव्यवस्था के खुलने के परिणामस्वरूप लोक सेवाओं के लिए विविध चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण कुशल सेवा वितरण के लिए उनमें समग्र सुधारों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

Integration with the global trends and opening up of the economy has resulted in diversified challenges for the civil services, which require holistic reforms for efficient service delivery. Discuss. (Answer in 250 words) 15

LPD सुधारों और राज्य के
व्यापक होते स्वरूप के साथ ही लोक सेवाओं
में गुणवत्ता, कुशलता में बेहोरी हुई
है। ए- गुणवत्ता सुधार 2022 में भारत की
रेक - 86 है। (ट्रान्सपेरेंसी इंटरनेशनल)



कृशल सेवा विवरण के लिए सुधार की आवश्यकता

1.7 ई-गवर्नेंस के संचालन हेतु लोक-सेवाओं की इमता निर्माण, प्रशिक्षण द्वारा तकनीकी कौशल प्रदान करना -

Ex- PPT बनाना, प्रॉपेक्टर द्वारा V/L

2.7 नागरिकों को शासन में शामिल करने के लिए सुधार आवश्यक है -

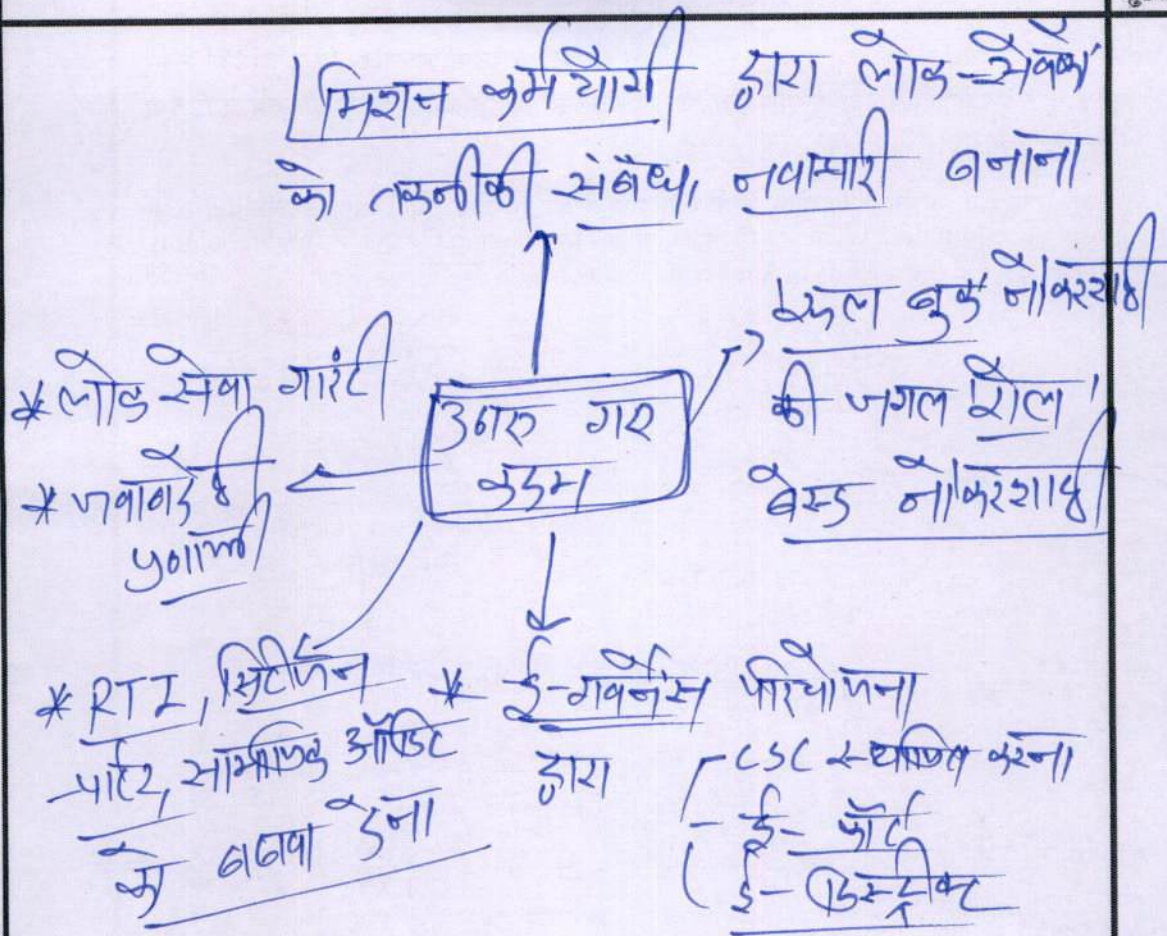
Ex- सिटीजन फीडबैक, नागरिक-घर, ...

3.7 लैंग्वेज इंटी द्वारा विशेषज्ञता, कौशल, प्रबंधन व तकनीक का समावेश करना

4.7 सुशासन, स्मार्ट गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस द्वारा 3E को बढ़ावा

↓
Effectiveness Efficiency Economy

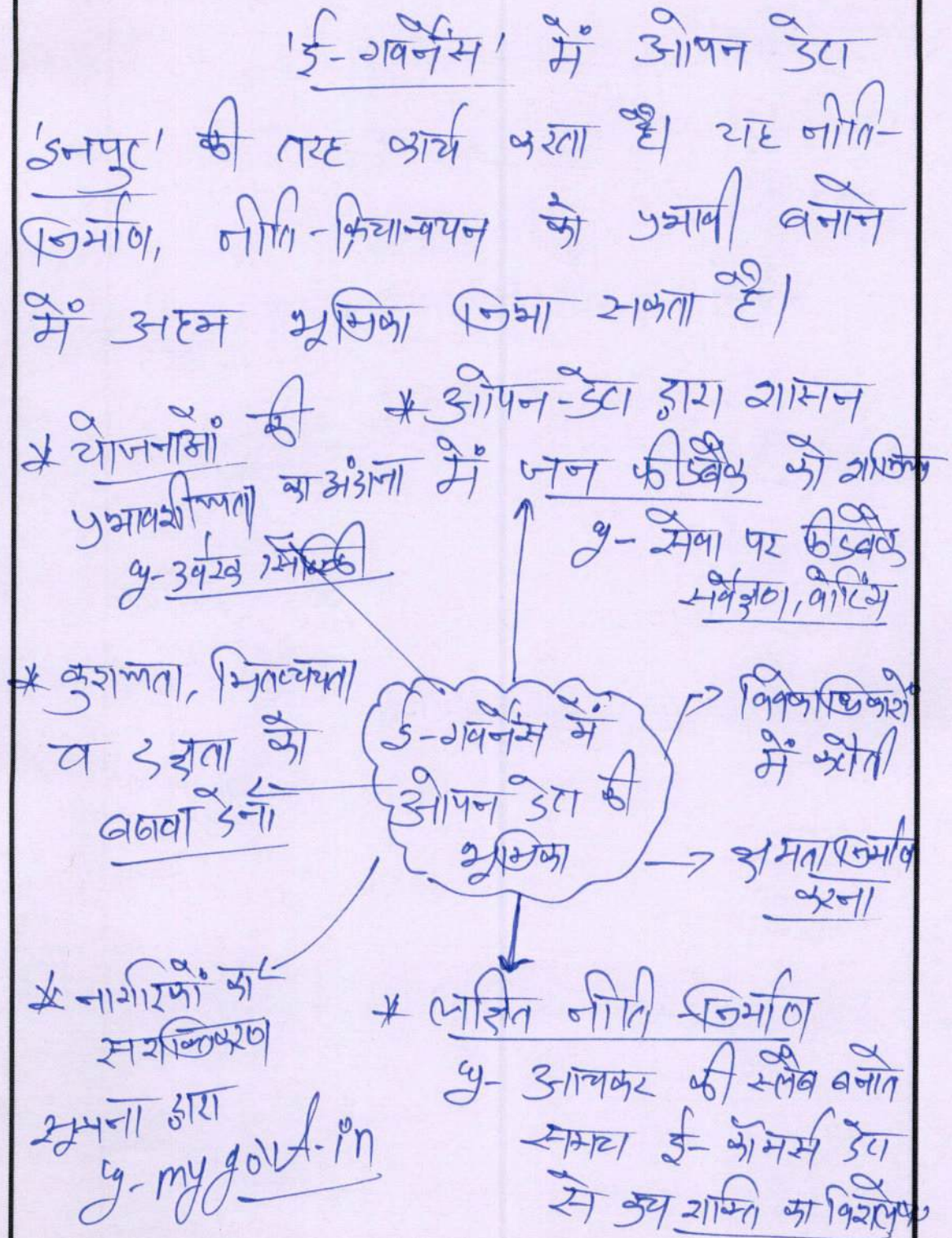
5.7 क्रासफॉर्म, पेफॉर्म, रिफॉर्म को बढ़ावा देना होगा

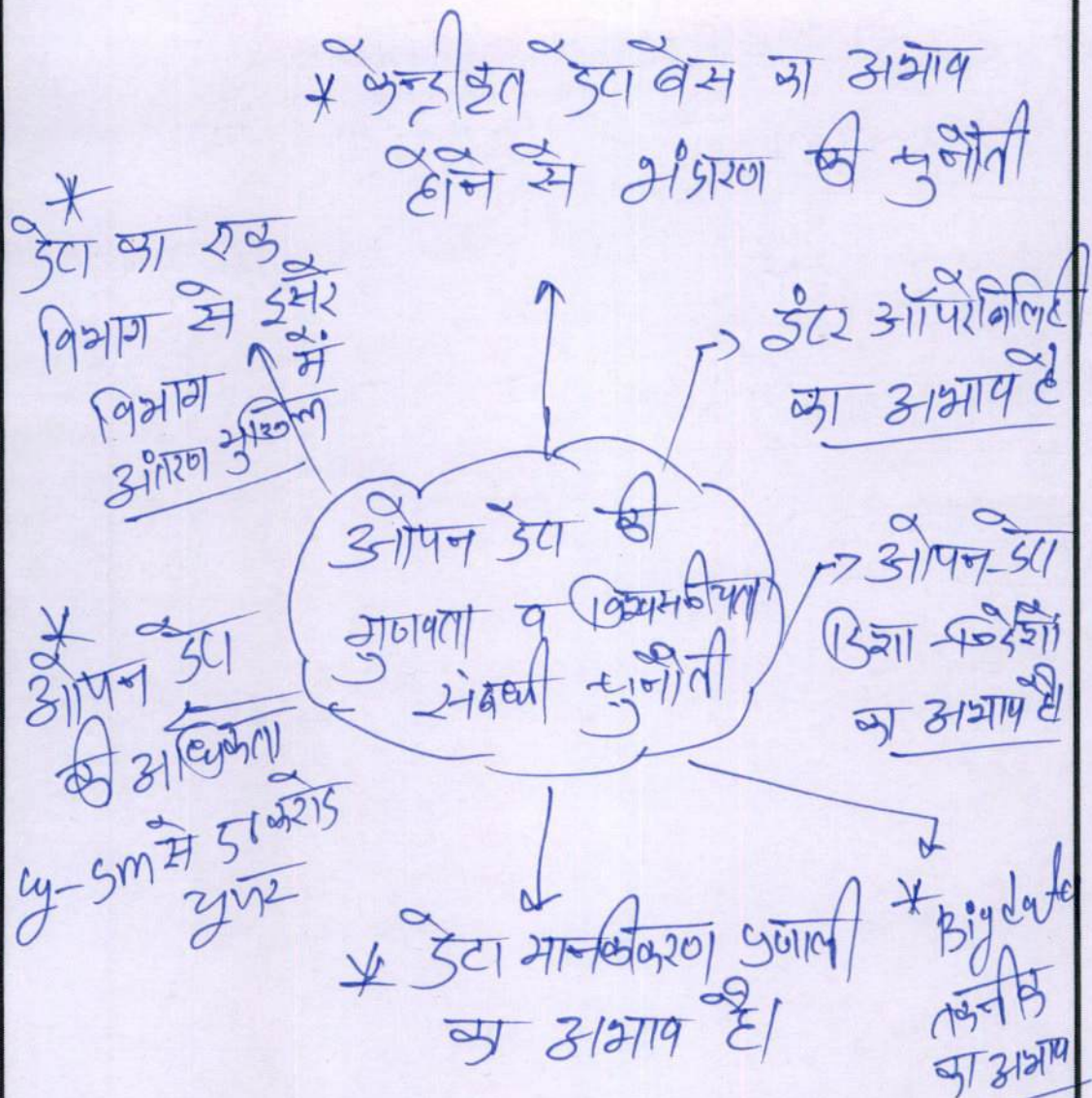


जलवायु परिवर्तन, बढ़ता डिजिटल
अर्थव्यवस्था का सामना करने के
लिए लोक-सेवाओं को अधिक जन-सहयोगी,
कुशल बनाना हर लोक-सेवाओं को बढ़ावा
का रुजेंट बनाना चाहिए।

16. भारत में ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में ओपन डेटा क्या भूमिका निभा सकता है? देश में ओपन डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में कौन-सी चुनौतियां विद्यमान हैं?

What role can open data play in promoting transparency and accountability in e-governance in India? What are the challenges in ensuring the quality and reliability of open data in the country? (Answer in 250 words) 15





ओपन डेटा का उपयोग करने

के लिए विश्वव्यापी डेटा बेस स्थापित करें,
रोज़ कम्यूनिटी को बढ़ावा दें, सीखें थर्ड पार्टी
विंग डेटा पत्र का उपयोग करना, ब्लॉकचैन,
स्थानीय डेटा स्थायीकरण से बढ़ावा दें

उत्तम औपन देश द्वारा प्रशासन
 में प्रभावशीलता व पारदर्शिता को
 बढ़ाया जा सकता है। देश के प्रसंस्करण
प्रोत्साहन व वर्गीकरण के लिए देश
काबू ही जरूरत है।

17. भारत में 'जीरो फूड' बच्चों की व्यापकता को कम करने के लिए मातृ पोषण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

To reduce the prevalence of 'zero food' children in India, maternal nutrition needs to be made a priority. Comment. (Answer in 250 words) 15

पोषित माँ। अभियान के तहत

मातृ पोषण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। मातृ पोषण द्वारा जीरो फूड बच्चों की व्यापकता को कम किया जा सकता है।

मातृ पोषण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता

(27) NFHS-5 के अनुसार भारत में 67% बच्चों (5 वर्ष से नीचे) शनिभिया व 36% बच्चों स्टेडिंग का शिखर है।

27 भारत में हर-इसरी महिला शनिभिया का शिखर है। जैसे गर्भवती माँ व शिशु दोनों के लिए ही ध्यान दे जाता है। मातृ मृत्यु दर - 90.
शिशु मृत्यु दर - 35.

37 प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पोषण की गुणवत्ता व उपलब्धता परीक्षी

47 जरि फुड बन्धों में वीनपन, वेस्टिंग जैसे स्थायी विकार उत्पन्न होते हैं

57 स्तनपान के लिए जागरूकता का अभाव है

प्रवास/पर्यटन 7 पोषण 2.0 अभियान

1 फुड कैलिफिकेशन द्वारा पोषण
2 फील्ड राइस

3 सुपोषित माँ अभियान

4 जननी शिशु सुरक्षा योजना

5 मिशन शक्ति

6 ऑनबोर्ड के तहत ICDD

7 विकाश हेतु मिशन इन्टरलूक

प्रधानमंत्री मातृत्व वकन योजना व PDS द्वारा पोषण सुरक्षा के प्रवास परीक्षा

स्ट्रक्चर-1 (No priority), स्ट्रक्चर-2 (जीरो
 प्रथमता) स्ट्रक्चर-3 (गुणवत्तापूर्ण स्वरूप), की
 पूर्ति करने में माह पोषण को
 प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही
 जागरूकता, प्रसव पूर्व देखभाल, भ्रमणगत
 प्रसव, निष्कासन को भी बढ़ावा देना
 होगा।

18. हाल ही में, केंद्र सरकार ने दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी खाद्य सामग्रियों और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। भारत में लोक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में दुर्लभ रोगों से संबंधित चिंताएं क्या हैं? इनका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है?

Recently, the Central government exempted all foods and drugs for rare diseases imported by people for personal use from customs duty. What are the concerns related to rare diseases as a public health issue in India? How can these be resolved? (Answer in 250 words)

15

दुर्लभ रोगों में रैसे आनुवंशिक
या जैसे संक्रामक रोगों को शक्तिशाली
जाता है जो सामान्यतः अप्रचलित होते
हैं, वयु स्थिति में शक्तिशाली तांत्रिकता
विकसंगता आदि।

दुर्लभ रोगों से संबंधित चिंताएं

1. जागरूकता के अभाव में इसे दुर्लभ
रोग माना जाता है।

2. मेमचबूट अज्ञान संभव नहीं।

3. मौला अज्ञान होने के कारण
अधिकतर ही पर्स में बाहर है

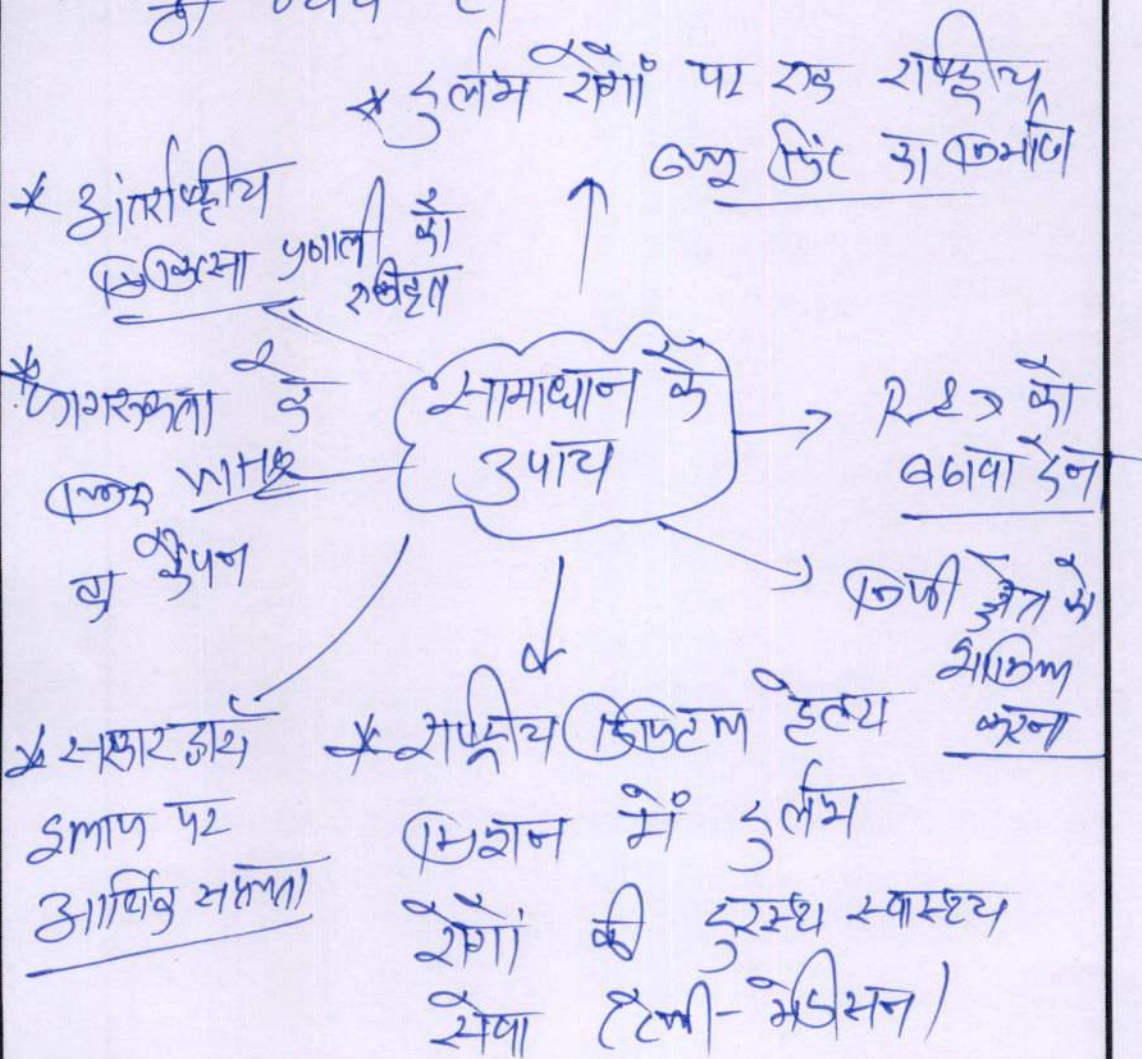
वयु- 45 लाख वा रस इजेशन
तांत्रिकता विकसंगता है।

4-7 निम्नलिखितों व दुर्लभ रोग से संबंधी
सेवाओं का अभाव होना

9- जाँच, निगरान का अभाव

5-7 लोक स्वास्थ्य प्रणाली की व्यस्तता होना
के कारण 0 पर 0 पोस्ट ग्रुप [6541]

6-7 स्वास्थ्य गैर मानक 1-5-1 दस्त का
भी व्यवस्था है।



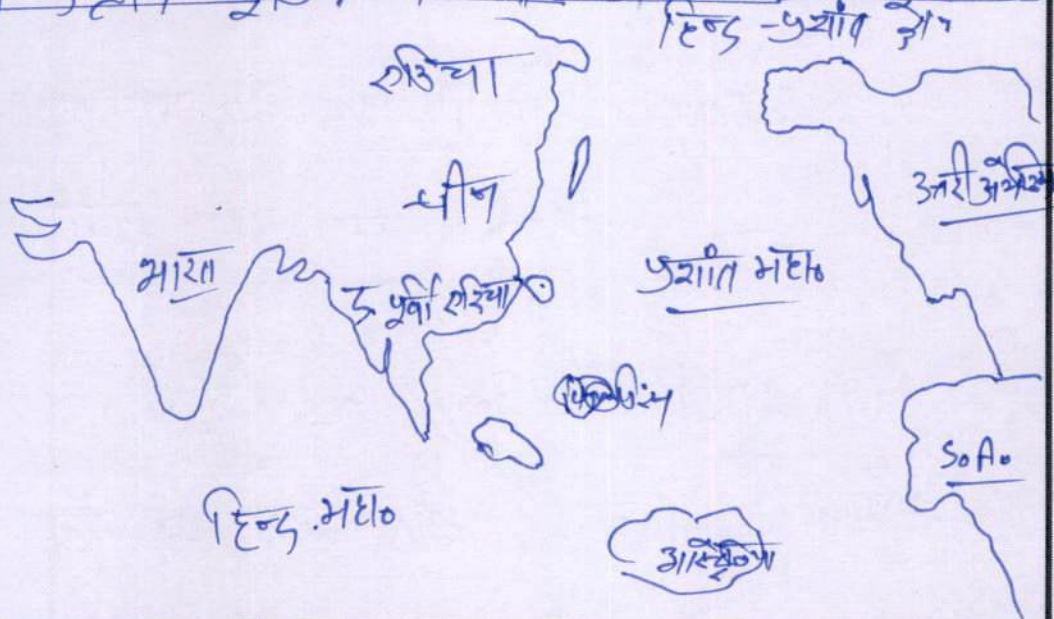
झोंगे की राह → दुर्लभ रोगों से बचाव
 एक व्यापक रणनीति - की जरूरत है।
उद्देश-3 के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य
प्रणाली व जन स्वास्थ्य रणनीति में
 दुर्लभ रोगों पर ध्यान देना।

19. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यथार्थवादी और प्रभावी सहयोग के लिए, इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न देशों के प्रमुख हितों को स्वीकार करने और उनकी पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

For realistic and effective collaborations to take place in the Indo-Pacific region, there is a need to acknowledge and recognize the underlining intention of the various countries with stakes in the region. Discuss. (Answer in 250 words) 15

एशिया-प्रशांत की जगह हिन्द-प्रशांत महासागर

एक हिन्द महा. और प्रशांत महा. के देशों के मध्य
स्थित भू-राजनीति व्यवस्था है। भारत इस व्यवस्था
में केन्द्रीय भूमिका निभाता है।



हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का महत्व

विश्व की 65% आबादी है

वैश्विक एनपी का 62% और

वैश्विक व्यापार का 50% इस क्षेत्र में

होता है। इस क्षेत्र में भारत, USA, चीन

व इस जैसे बड़े देशों के सामंजस्य है।

जुड़ है।

हिन्द-उशांत क्षेत्र में यथास्थिति और उभावी
महत्त्व के लिए देशों के हितों की पहचान
आवश्यक है-

① चीन की बढ़ती आक्रमणता के
रूपों के लिए ।

व्यू-इरिष चीन सागर विवाद

② ज्वाड़ और AU RPS के कारण
नर गठबंधनों का उभार हुआ

③ भारत के लिए रूस युद्ध,
मुक्त, समिपशी हिन्द-उशांत क्षेत्र का महत्व

④ इरिष-पूर्व (आसियान) देशों
के लिए भू-राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक
हित व महत्वपूर्ण के कारण को बताना

⑤ USA के लिए IPEF की
सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

⑥ ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन

जैसे अतिरिक्तिक अरना करी
 (क) जापान व द० कोरिया के
 लिए 1 पाइना प्लस 20 नीति के लिए
 करी (ख) भारत नौवहन स्वतंत्रता
 व नियम आधारित वर्ल्ड ऑर्डर का
 पक्षधर है।

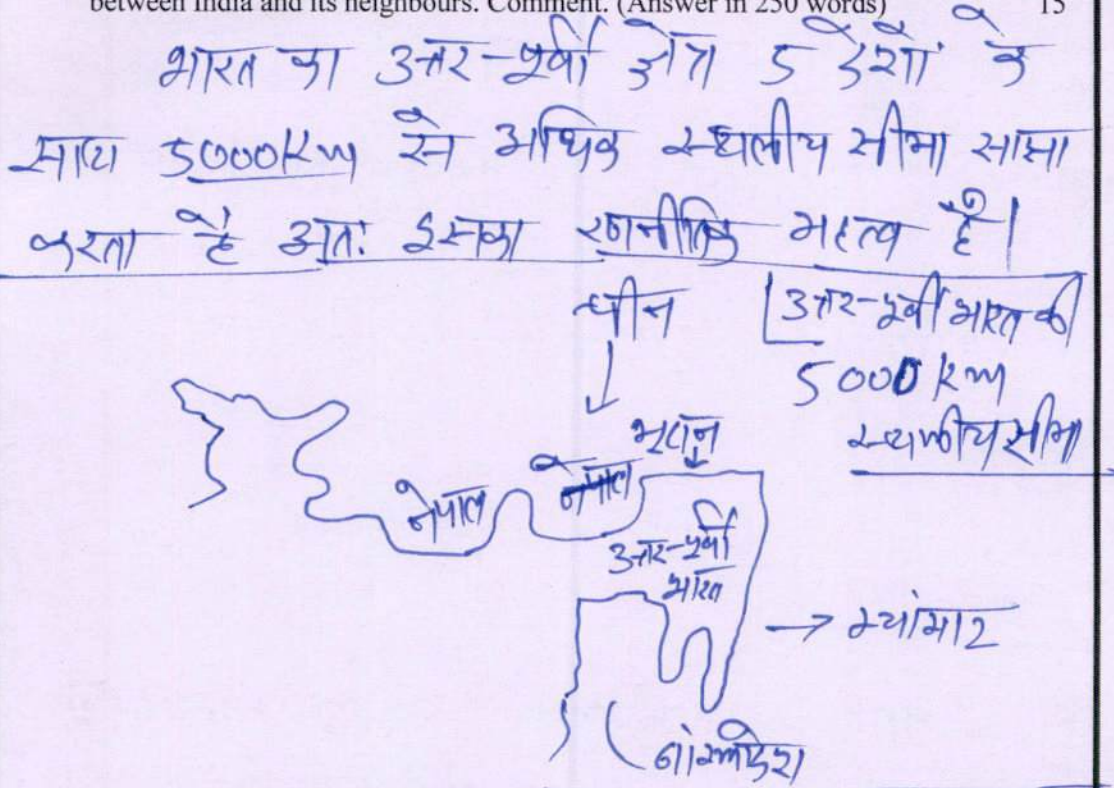
भारत की पक्ष → ब्रिक्स में शामिल होना

↳ फ्रांस-भारत-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुह बना
 ↳ TRIPS में 14 भागीदारों के साथ शामिल
 (सागर विपणन, WTO, WON आदि
 के साथ भागीदारी करना।
 भारत समीक्षणी हिन्दु-

प्रशांत क्षेत्र का पक्षधर रहा है।
 उसे अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए

20. भारत और उसके पड़ोसियों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थल के रूप में स्थापित होने से पहले, भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

There is a need to address the underlying challenges, both internal and external, in the North-Eastern region of India before it can serve as a pivotal connecting space between India and its neighbours. Comment. (Answer in 250 words) 15



पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक चुनौतियाँ

↳ शरणार्थी समस्या के कारण अभिविध संरचना पर प्रभाव

यु-म्यांमार व बांग्लादेश से शरणार्थी गैरकानूनी संचार

↳ उत्तर-पूर्व का अतिरिक्त पिछड़ापन व बुनियादी ढांचे का अभाव

1) अनपेक्षित विविधता के कारण
मुख्य संपर्क न हो पाना

2) उग्रवाद, नरसंहार व राज्यों में
भूमि विवाद का होना
जैसे मणिपुर हिंसा

बाह्य पुनर्गठन → छिद्रित सीमा का होना

1) नारको तस्करी, मैफेरी तस्करी उद्योग
के कारण संगठित अपराध का बढ़ना
जैसे गैंग्स ट्रैफिक

2) चीन द्वारा जैविक माओवाद
जैसे डल्फा का शरण देना

3) सीमा प्रबंधन की पुनर्गठनी
जैसे दुर्गम सुगौल

हड्डम → श्वेदा लैव पोस्ट स्थापित
 → तकनीक द्वारा सीमा उबेधन
 → देशों के साथ सम्झौतें

१- बांग्लादेश मुमि सीमा सम्झौता

— सीमा वल्लों का आधुनिकीकरण

— रबर ईस्ट पोलिसी द्वारा राजनीतिक

ध्यान देना

— कनेक्टिविटी बढ़ाना

१- इलाहा रिपब्लिक राजमार्ग

कालाकान मल्टी मोडल जे

आइओए - अंतराष्ट्रीय रेलवे

उत्तर उत्तर पूर्व की सुरक्षा

व विकास के लिए पैकरी देशों
 से बेहतर संबंध।